



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012023-241712
CG-DL-E-06012023-241712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]
No. 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

का.आ. 52(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट Newly Proposed के किमी 8.9 से किमी 68.96 तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने /चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Newly Proposed तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सक्षम प्राधिकारी सह जिला भू-अर्जन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	बिहार	सारण	दर्यापुर	1 दरिहरा निसाख

	पदाधिकारी, सारण)	Newly Proposed के कि.मी. 8.9 से 68.96 तक			
--	-------------------------	--	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU/Chhapra/Bakarpur-Dumaria/3a 3rd/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 52(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 8.9 to Km. 68.96 of the Newly Proposed for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Newly Proposed in the State of BIHAR

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Competent Authority - cum- District Land Acquisition Officer (	8.9KM To 68.96KM	BIHAR	SARAN	Dariapur	1 Darihara Nisakh

[F. No. NHAI/PIU/Chhapra/Bakarpur-Dumaria/3a 3rd/2022]

RAJESH GUPTA, Director